राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना,
लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर
दूरभाष व फैक्स न. 0141–2223572
E-Mail-dmhsesi@yahoo.co.in./esis-rj@esic.nic.in
http://www.health.rajasthan.gov.in/esi

क्रमांक : जी–1 / बैठक / ईएसआई / 2018 / 38 दिनांक : – 23-4-18

अति–आवश्यक

अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय,
भीलवाडा, जोधपुर, कोटा, पाली ।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, समस्त,
राजस्थान ।

विषय :– दिनांक– 03.05.2018 को निदेशालय में आयोजित अति–आवश्यक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु ।

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 03.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे निदेशालय में एक अति–आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें ऐजंडे के अनुसार आप वांछित सूचनाओं सहित बैठक में भाग लेवें। ऐजंडे के बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(1) संस्थान से संबंधित सभी तरह के ऑडिट पैराज की ठोस अनुपालना संबंधित लेखाकर्मी मुख्यालय से दूरभाष पर चर्चा / तालमेल करते हुये प्रस्तुत की जावे ।
(2) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित यात्रा एवं चिकित्सा बिलों के बकाया दायित्वों की सूची ।
(3) न्यायालय प्रकरणों की नवीनतम प्रगति।
(4) बीमितों के चिकित्सा दावों के संबंध में नवीनतम प्रगति पूर्व में जारी प्रपत्रों में।
(5) संस्थान में स्थापित कम्प्युटर की स्थिति एवं ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन आदि कार्य की प्रगति।
(6) ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन लिये जाने की प्रगति ।
(7) चिकित्सक एवं नर्सिग पैरामेड़िकल को ऑन लाइन कम्प्युटर कार्य हेतु धनवन्तरी ट्रैनिंग की आवश्यकता है या नहीं (जो प्रशिक्षित नही हैं उनकी सूची संलग्न करें)।
(8) लम्बित पेंशन प्रकरणों एवं मृतक राज्य कर्मचारियों के बकाया प्रकरणों की प्रगति ।
(9) बकाया वेतन निर्धारण / चयनित वेतनमान प्रकरणों की प्रगति ।
(10) लैब टेक्नीशियन द्वारा की गई जॉचों की मासिक प्रगति जिसमें लाभान्वित मरीजों की कुल संख्या एवं कुल जॉच संख्या का विवरण अलग–अलग वर्णित हो।
(11) सांख्यिकी शाखा में भेजी जाने वाली हर माह की ओ.पी.डी. संख्या एवं रैफर रोगियों की संख्या की रिपोर्ट जो हर माह की एक तारीख को भेजी जानी होती है की प्रति।

कृ.पृ.उ.

(12) बजट आवंटन के विरूद्ध प्रशासनिक एवं अन्य मद में उप मदवार बजट उपयोग की प्रगति ।
(13) जी.एस.टी. नम्बर आवंटन की प्रक्रिया की प्रगति ।
(14) आर.टी.पी.पी. एक्ट के तहत एस.पी.पी. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रकिया की प्रगति ।
(15) सी.एम. हैल्प लाइन एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति ।
(16) अति आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता की स्थिति एवं बफर स्टॉक का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त मांग पत्र एवं दवाईयों के रख–रखाव व प्रबन्धन की प्रगति ।
(17) टीकाकरण की प्रगति एवं कोल्ड चैन उपकरण (आई.एल.आर.आदि) की उपलब्धता एवं मांग की स्थिति ।
(18) लैब टेक्नीशियन विहीन संस्था प्रभारी द्वारा लैब जॉच आउट सोर्स करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें ।
(19) एक्स–रे सुविधा से रहित संस्था प्रभारी द्वारा एक्स–रे सुविधा आउट सोर्स करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें ।
(20) चिकित्सालय प्रभारियों द्वारा सोनोग्राफी सेवायें आउट सोर्स किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें ।
(21) जिन संस्थानों में ई.सी.जी. सेवा उपलब्ध नहीं है, उनके प्रभारियों द्वारा ई.सी.जी. सेवा आउट सोर्स करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें ।
(22) पूर्व में जारी समस्त आदेश/निर्देश एवं एजेन्डा बिन्दुओं की पालना एवं प्रगति।

पत्र को प्राथमिकता देते हुये पालना सुनिश्चित की जावे एवं उक्त ऐजंडा बिन्दुओं की सूचना बिन्दुवार पृथक–पृथक तैयार करवाकर बैठक में समीक्षा हेतु साथ लेकर आवें।

समीक्षा बैठक में स्वयं प्रभारी अधिकारी ही उपस्थित होवें अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ0 एम.पी.बुडानिया)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव